T.O. (Gen)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2014/अग्रहायण 7, 1936
No. 632] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2014/AGRAHAYANA 7, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 852(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण तिदेशालय (महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण के सिवाय), रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (प्रशिक्षण अधिकारी के समूह "ख" राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2003 को जहाँ तक उनका संबंध अनुसूची-I के अधीन प्रशिक्षण अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है श्रम मंत्रालय के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में प्रशिक्षण अधिकारी संमूह 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण निदेशालय (महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण के सिवाय) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, प्रशिक्षण अधिकारी (समूह "ख") पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण,वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान:—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं:—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:—वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:—

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके,**तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके**, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रशिक्षण अधिकारी ट्रेड वार विवरण निम्नानुसार है: 1. वैल्डर:19 2. कर्मशाला संगणना और विज्ञान:04 3. टर्नर:15 4. नकशानवीस (यांत्रिक या इंजीनियरी आरेखण या आरेखण का पठन और गणित:21 5. काष्ठकार या नमूनाकार :06 6. बिजली मिस्त्री:23 7. फिटर :17 8. मशीन मिस्त्री :20 9. यंत्र मैकेनिक :06 10. रेडियो और दूरदर्शन :05 श्रव्य दृश्य सहाय्य :01 11. मुद्रण और प्रौद्योगिकी या हस्त संरचना: 03 12. इलैक्ट्रानिक्स /माइक्रो कंप्यूटर :19 13. डीजल मैकेनिक :02 14. मोल्डर :03 15. वायरमैन :02 16. ताप इंजन या आंतरिक दहन इंजन या मैकेनिक मोटर वाहन या मैकेनिक मोटर चालन:13	210* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.

17. कटाई और सिलाई :01 18. औजार और डाई बनाना :05 19. मशीन औजार अनुरक्षण या अनुरक्षण मिल राईट :06 20. ग्राइंडर :02 21. शीट मेटल कर्मकार :03 22. प्रशीतन और वातानुकूलन : 02 23. लौहकारी :02 24. प्रक्रिया नियंत्रण यंत्रीकरण: 01 25. नक्शानवीस (सिविल) :04 26. रासायनिक :05			

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक : (क)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या समतुल्य; और ii) किसी तकनीकी संस्थान में उत्पादन या अनुरक्षण या सर्विसिंग या अध्यापन या प्रशिक्षण में कार्यरत किसी कर्मशाला में अर्हता पश्चात् दो वर्ष का अनुभव । या (ख)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी में डिप्लोमा; और (ii) उत्पादन या अनुरक्षण या सर्विसिंग में कार्यरत किसी कर्मशाला में अर्हता पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव; या किसी तकनीकी संस्थान में अध्यापन या प्रशिक्षण में अर्हता पश्चात पांच वर्ष का अनुभव या किसी तकनीकी संस्थान में उत्पादन या अनुरक्षण या सर्विसिंग और अध्यापन प्रशिक्षण में कार्यरत किसी कर्मशाला में अर्हता पश्चात पांच वर्ष का अनुभव या (i) इंजीनियरी संस्था (भारत) की संस्था परीक्षाओं का अनुभाग 'क' और 'ख' उत्तीर्ण हो; या (ii) इलैक्ट्रानिक्स और दूरसंचार इंजीनियर्स (भारत) की परीक्षा संस्थान की स्नातक सदस्यता उत्तीर्ण की है, **टिप्पण 1:** अनुभव के क्षेत्र के साथ इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी शाखा की ट्रेडवार अपेक्षा के बारे में ब्यौरे वे होंगे जो उपाबंध 1 में उपदर्शित हैं।

		टिप्पण 2: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 3:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। "वांछनीय : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा जारी शिल्प अनुदेशक प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाणपत्र या समतुल्य के तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षणसंस्थान से अध्यापक प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन उच्च प्रशिक्षण संस्थान या केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान या प्रदेशिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान से अनुदेशक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।**

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित लिखित परीक्षा के माध्यम से 50% सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन बैंड-2; 9300-34800रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. से संबद्ध व्यवसाय में ऐसे व्यावसायिक अनुदेशक या कनिष्ठ तकनीकी सहायक या अनुरक्षण बिजली मिस्त्री या अनुरक्षण इलैक्ट्रोनिक्स या मंडारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और जो उस व्यवसाय की अपेक्षाएं पूर्ण करता हो और ऐसे नक्शानवीस जो वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु.+ ग्रेडवेतन 4200 रु. में हों जो व्यावसायिक अनुदेशक या कनिष्ठ तकनीकी सहायक के समतुल्य हों। पाँच

टिप्पण – जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण – प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है;

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव है।

टिप्पण 1- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसकेअंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि या प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे – (1) महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण, (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) --अध्यक्ष (2) निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण, (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) --सदस्य (3) उप सचिव या निदेशक (प्रशासन), श्रम और रोजगार मंत्रालय --सदस्य (4) उप सचिव या निदेशक (प्रशासन), (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) --सदस्य	सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति द्वारा पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/01/2010-टीए-II]

सुरेश चंद्र टमटा, अवर सचिव

4711 GI/14-2

उपबन्ध–1

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय में प्रशिक्षण अधिकारियों के पद के लिए भर्ती नियमों से संबंधितद्य

अनुसूची-1 का उपबन्ध

क्र. सं.	व्यवसाय	पदों की संख्या	इंजीनियर/प्रोद्यौगिकी में डिग्री/डिप्लोमा की अर्हता के लिए इंजीनियरिंग या प्रोद्यौगिकी की शाखा	अनुभव का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वैल्डर	19	यांत्रिक इंजीनियरी/उत्पादन इंजीनियरी/धातु कर्म/फैब्रिकेशन प्रोद्यौगिकी	वैल्डिंग/फैब्रिकेशन
2.	कर्मशाला संगणना और विज्ञान	4	यांत्रिक इंजीनियरी/उत्पादन इंजीनियरी/वैद्युत इंजीनियरी/इलैक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार इंजीनियरी/कंप्यूटर इंजीनियरी/औद्योगिक इंजीनियरी	अध्यापन/प्रशिक्षण में अध्यापन या प्रशिक्षण प्रशासन या अनुसंधान
3.	टर्नर	15	यांत्रिक इंजीनियरी/मशीन औजार प्रोद्यौगिकी/उत्पादन इंजीनियरी	टर्निंग/मशीनिंग
4.	नक्शानवीस (यांत्रिक)/इंजीनियरी आरेखण/आरेखण का पठन और गणित	21	यांत्रिक इंजीनियरी/उत्पादन इंजीनियरी/कंप्यूटर सहायता प्राप्त विनिर्माण	आरेखण अधिकारी/नक्शानवीस (यांत्रिक)
5.	काष्ठकार	6	यांत्रिक इंजीनियरी/उत्पादन इंजीनियरी/इमारती लकड़ी प्रोद्यौगिकी	काष्ठकारी/काष्ठ प्रोद्यौगिकी
6.	बिजली मिस्त्री	23	वैद्युत इंजीनियरी/वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी	वैद्युत इंजीनियरी/बिजली मिस्त्री
7.	फिटर	17	यांत्रिक इंजीनियरी/उत्पादन इंजीनियरी	फिटिंग/असैंबलिंग
8.	मशीन मिस्त्री	20	यांत्रिक इंजीनियरी/मशीन औजार प्रोद्यौगिकी/उत्पादन इंजीनियरी	मशीनिंग
9.	यंत्र मैकेनिक	6	यंत्रीकरण प्रोद्यौगिकी/औद्योगिक इलैक्ट्रॉनिक्स और यंत्रीकरण	यंत्रीकरण
10.	रेडियो और दूरदर्शन	5	इलैक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार इंजीनियरी/दूरदर्शन इंजीनियरी/रेडियो और इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी	इलैक्ट्रॉनिक्स/रेडियो और दूरदर्शन
11.	श्रव्य दृश्य सहाय्य	1	इलैक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार इंजीनियरी/ध्वनि इंजीनियरी/सिनेमाटोग्राफी	श्रव्य दृश्य सहाय्यों/मल्टीमीडिया का अध्यापन/प्रशिक्षण/विकास

12.	मुद्रण प्रोद्योगिकी/हस्त संरचना	3	मुद्रण प्रोद्योगिकी	मुद्रण प्रौद्योगिकी
13.	इलेक्ट्रॉनिक्स/माईक्रो कंप्यूटर	19	इलैक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार इंजीनियरी/रेडियो और इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी/औद्योगिक इलैक्ट्रॉनिक्स और यंत्रीकरण	इलैक्ट्रॉनिक्स/माईक्रो कंप्यूटर
14.	डीजल मैकेनिक	2	यांत्रिक इंजीनियरी/आटोमोबाइल इंजीनियरी	डीजल इंजन/भारी मोटर यान
15.	मोल्डर	3	यांत्रिक इंजीनियरी/उत्पादन इंजीनियरी/धातु कर्म/फाउंड्री प्रोद्योगिकी	मोल्डिंग/फाउंड्री प्रोद्योगिकी
16.	वायरमैन	2	वैद्युत इंजीनियरी/वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी	वैद्युत इंजीनियरी/वैद्युत वायरिंग
17.	ताप इंजन/आंतरिक दहन, इंजन मोटर मैकेनिक यान	13	यांत्रिक इंजीनियरी/आटोमोबाइल इंजीनियरी	ताप इंजन/आटोमोबाइल इंजीनियरी
18.	कटाई और सिलाई	1	कास्टयूम डिजाईन और ड्रैस मेकिंग/वस्त्र प्रोद्यौगिकी	कटाई और सिलाई/ड्रैस मेकिंग/वस्त्र बनाना
19.	औजार और डाई बनाना	5	यांत्रिक इंजीनियरी/उत्पादन इंजीनियरी/औजार इंजीनियरी प्रोद्योगिकी	औजार इंजीनियरी/औजार और डाई बनाना
20.	मशीन औजार अनुरक्षण/अनुरक्षण मिल राईट	6	मशीन औजार प्रोद्यौगिकी/मशीन औजार अनुरक्षण	मशीन औजार अनुरक्षण
21.	ग्राईंडर	2	यांत्रिक इंजीनियरी/उत्पादन इंजीनियरी/मशीन औजार प्रोद्यौगिकी	ग्राईंडिंग
22.	शीट मेटल कर्मकार	3	यांत्रिक इंजीनियरी/उत्पादन इंजीनियरी/फैब्रिकेशन प्रोद्यौगिकी	शीट मेटल कर्मकार/फैब्रिकेशन
23.	प्रशीतन और वातानुकूलन	2	यांत्रिक इंजीनियरी/प्रशीतन और वातानुकूलन	प्रशीतन और वातानुकूलन
24.	लौहकारी	2	यांत्रिक इंजीनियरी/उत्पादन इंजीनियरी	फोर्जिंग/लौहकारी
25.	प्रक्रिया नियंत्रण यंत्रीकरण	1	यंत्रीकरण प्रोद्यौगिकी	प्रक्रिया नियंत्रण यंत्रीकरण
26.	नक्शानवीस (सिविल)	4	सिविल इंजीनियरी/वास्तुकला	नक्शानवीस (सिविल)/वास्तुकला
27.	रासायनिक	5	रासायनिक इंजीनियरी	रासायनिक इंजीनियरी/प्रोद्यौगिकी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2014

G.S.R 852(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Training (except Women Occupational Training), Directorate General of Employment and Training (Group B gazetted posts of Training Officer) Recruitment Rules, 2003 in so far as they relate to the post of Training Officer under Schedule-I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Training Officer, Group 'B' in the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour, namely:—

1. (1) Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Directorate of Training (except Women Occupational Training), Directorate General of Employment and Training, Training Officer (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

   shall be eligible for appointment to any of the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, other backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard from time to time.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for the direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Training Officer. Tradewise break up is as follows:- 1. Welder : 19 2. Workshop Calculation and Science : 04 3. Turner : 15 4. Draughtsman (Mechanic) or Engineering Drawing or Reading of Drawing and Arithmetic : 21	210*(2014) *(Subject to variation depending on workload).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band -2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4600/-.	Non-Selection.	Not exceeding 30 years.

5. Carpenter or Pattern maker	: 06					
6. Electrician	: 23					
7. Fitter	: 17					
8. Mechinist	: 20					
9. Instrument Mechanic	: 06					
10. Radio and Television	: 05					
11. Audio Visual Aid	: 01					
12. Printing and Technology or Hand Composing	: 03					
13. Electronics/Micro Computer	: 19					
14. Diesel Mechanic	: 02					
15. Moulder	: 03					
16. Wireman	: 02					
17. Heat Engine or Internal combustion Engine or Mechanic Motor Vehicle or Motor Driving Mechanic	: 13					
18. Cutting and Tailoring	: 01					
19. Tool and Die making	: 05					
20. Machine tools Maintenance or Millwright	: 06					
21. Grinder	: 02					
22. Sheet Metal Worker	: 03					
23. Refrigeration and Air Conditioning	: 02					
24. Blacksmithy forger and heat treater	: 02					
25. Process Control Instrumentation	: 01					
26. Draughtsman (Civil)	: 04					
27. Chemical	: 05					

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Essential: (a) (i) Bachelor's degree in Engineering or Technology, from a recognised University or equivalent; and (ii) two years' post qualification experience in a workshop engaged in production or maintenance or servicing or teaching or training in a technical Institute; or (b)(i) Diploma in engineering from a recognised University or Institute (ii) five years' post qualification experience in a workshop engaged in production or maintenance or servicing or five years' post qualification experience in teaching or training in a technical Institute or five years' post qualification experience in a workshop engaged in production or maintenance or	Age : No Educational Qualifications : No.	Two years for direct recruits.

4711 GI/14-3

servicing and in teaching or training in technical Institute or (i) passed Section A and B of the institution examinations of the institution of Engineering (India); or (ii) passed graduate membership examination of the Institute of Electronics and Telecommunication Engineers (India). **Note 1:** Details about Trade-wise requirement of branch of Engineering or Technology alongwith area of experience shall be as indicated in Annexure-1. **Note 2:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 3:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable:** Teachers Training Diploma from Technical Teachers Training Institute under the Ministry of Human Resources Development or Craft Instructor Certificate/National Craft Instructor Certificate or equivalent issued by National Council for Vocational Training. Training Certificate from Advanced Training Institute or Central Training Institute or National Vocational Training Institute or Regional Vocational Training Institute under the Directorate General of Employment and Training, Ministry of Labour and Employment.		

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion deputation absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(10)	(11)
50% by promotion failing which by deputation. 50% by direct recruitment through a written examination conducted by the Union Public Service Commission.	**Promotion:** Vocational Instructor or Junior Technical Assistant or Maintenance Electricians or Maintenance Electronics or Store Keeper in the concerned trade in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200/- with five years regular service in the grade and fulfilling the trade requirements and Draughtsman who are in the pay band-2, 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- which is

equivalent to Vocation Instructor or Junior Technical Assistant.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

Deputation:
Officers of the Central Govt. or State Governments or Union territories:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200/- in the parent cadre or department;

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer

4711 ex/14-4

	prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Category 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of : (1) Director General of Employment and Training (Directorate General of Employment and Training) - Chairman (2) Director of Apprenticeship Training, Directorate General of Employment and Training - Member (3) Deputy Secretary or Director (Administration), Ministry of Labour and Employment - Member (4) Deputy Secretary or Director (Administration) Directorate General of Employment and Training - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

[F. No. A-12018/01/2010-TA-II]

SURESH CHANDRA TAMTA, Under Secy.

ANNEXURE-I

Annexure to schedule-I regarding recruitment rules for the post of Training Officers in the Directorate General of Employment and Training.

S.No.	Trade.	Number of posts.	Branch of Engineering or Technology for the qualification of Degree/Diploma in Engineering/Technology.	Area of experience.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Welder	19	Mechanical Engineering/ Production Engineering/ Metallurgy/Fabrication Technology.	Welding/Farbrication
2.	Workshop Calculation and Science.	4	Mechanical Engineering/ Production Engineering/ Electrical Engineering/ Electronics and Telecommunication Engineering/ Computer Engineering/ Industrial Engineering.	Teaching/or Training/ or Teaching/ Training Administration or Research in Teaching/Training.

3.	Turner.	15	Mechanical Engineering/ Machine Tool Technology/ Production Engineering	Turning/Mechaning.
4.	Draughtsman (Mechanical)/ Engineering Drawing/Reading of Drawing and Arithmetic	21	Mechanical Engineering/ Production Engineering/ Computer Aided Manufacturing.	Drawing Office/ Draughtsman (Mechanical).
5.	Carpenter	6	Mechanical Engineering/ Production Engineering/ Computer Wood Timber Technology.	Carpentry/Wood Technology.
6.	Electrician	23	Electrical Engineering/ Electrical and Electronics Engineering.	Electrical Engineering/ Electrician.
7.	Fitter	17	Mechanical Engineering/ Production Engineering.	Fitting/Assembling.
8.	Machinist	20	Mechanical Engineering/ Machine Tool Technology/ Production Engineering.	Machining.
9.	Instrument Mechanic	6	Instrumentation Technology/ Industrial Electronics and Instrumentation	Instrumentation.
10.	Radio and Television	5	Electronics and Telecommunication Engineering/ Television Engineering/ Radio and Electronics Engineering.	Electronics/Radio and Television
11.	Audio Visual Aid	1	Electronics and Telecommunication Engineering/ Sound Engineering/ Cinematography.	Teaching/ Training/ Development of Audio Visual Aids/ Multimedia.
12.	Printing Technology/Hand Composing	3	Printing Technology	Printing Technology.
13.	Electronics/ Micro Computer	19	Electronics and Telecommunication Engineering/ Radio and Electronics Engineering/ Electrical and Electronics Engineering/Industrial Electronics and Instrumentation.	
14.	Diesel Mechanic	2	Mechanical Engineering/ Automobile Engineering	Diesel Engines/ Heavy Motor Vehicles
15.	Moulder	3	Mechanical Engineering/ Production Engineering/ Metallurgy/ Foundry Technology	Moulding/ Foundry Technology
16.	Wiremen	2	Electrical Engineering/ Electrical and Electronics Engineering	Electrical Engineering/ Electrical Wiring
17.	Heat Engine/Internal Combustion, Engine/ Motor Mechanic Vehicle	13	Mechanical Engineering/ Automobile Engineering	Heat Engine/ Automobile Engineering
18.	Cutting and Tailoring	1	Costume Design and Dress Making/ Garment Technology	Cutting and Tailoring/ Dress Making/ Garment Making
19.	Tool and Die Making	5	Mechanical Engineering/ Production Engineering/ Tool Engineering Technology	Tool Engineering/ Tool and Die Making

20.	Machine Tool Maintenance/ Maintenance Millwright	6	Machine Tool Technology/ Machine Tools Maintenance	Machine Tool Maintenance
21.	Grinder	2	Mechanical Engineering/ Production Engineering/ Machine Tool Technology	Grinding
22.	Sheet Metal Worker	3	Mechanical Engineering/ Production Engineering/ Fabrication Technology	Sheet Metal Worker/ Fabrication
23.	Refrigeration and Air Conditioning	2	Mechanical Engineering/ Refrigeration and Air Conditioning	Refrigeration and Air Conditioning
24.	Blacksmithy	2	Mechanical Engineering/ Production Engineering	Forging/ Blacksmithy
25.	Process Control Instrumentation	1	Instrumentation Technology	Process Control Instrumentation
26.	Draughtsman (Civil)	4	Civil Engineering/ Architecture	Draughtsman (Civil/ Architecture
27.	Chemical	5	Chemical Engineering	Chemical Engineering/ Technology

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.